अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 28)

[15 अगस्त, 2023]

ऐसे सेना कार्मिकों, जो वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम,1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 के अध्यधीन हैं, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए, अपनी कमान के अधीन सेवा कर रहे हैं या उससे संलग्न हैं, के संबंध में अंतर-सेना संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर को सशक्त करने के लिए, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अधिनियम का लागू होना ।

2. इस अधिनियम के उपबंध, उन सभी व्यक्तियों को, जो वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 के अध्यधीन हैं तथा ऐसे अन्य बलों के व्यक्तियों को, जो अंतर-सेना संगठन में कार्य कर रहे हैं या उनसे संलग्न हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लागू होंगे । 1950 का 45 1950 का 46 1957 का 62

परिभाषाएं ।

3. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "एयर आफिसर" से ग्रुप कैप्टन के रैंक से ऊपर का वायु सेना का कोई आफिसर अभिप्रेत है ;

(ख) "चीफ आफ डिफेंस स्टाफ" से, यथास्थिति, नियमित सेना या भारतीय नौसेना या भारतीय वायु सेना का कोई आफिसर अभिप्रेत है, जिसे इस रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है ;

(ग) "कमांडर-इन-चीफ" से नियमित सेना का जनरल आफिसर या भारतीय नौसेना का फ्लैग आफिसर या वायु सेना का कोई एयर आफिसर, जिसे किसी संयुक्त सेना कमान का कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया गया है या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा आफिसर, जो कमान करता है, अभिप्रेत है ;

(घ) "कमान अधिकारी" से किसी यूनिट, पोत या स्थापन का वास्तव में कमान करने वाला कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उस रूप में, यथास्थिति, किसी अंतर-सेना संगठन का कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर सम्मिलित है ;

(ङ) "फ्लैग आफिसर" से फ्लीट-एडमिरल, एडमिरल, वाइस-एडमिरल या रियर-एडमिरल अभिप्रेत है ;

(च) "जनरल आफिसर" से बिग्रेडियर के रैंक से ऊपर का सेना का नियमित आफिसर अभिप्रेत है ;

(छ) "अंतर-सेना संगठन" से फौज का कोई निकाय अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 या उक्त अधिनियमों में से किन्हीं दो अधिनियमों के अधीन आने वाले व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली संयुक्त सेना कमान भी है ; 1950 का 45 1950 का 46 1957 का 62

(ज) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(झ) किसी अंतर-सेना संगठन के संबंध में "आफिसर" से, यथास्थिति, वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 4 के खंड (23) या सेना अधिनियम, 1950 की धारा 3 के खंड (18) या नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड (16) में यथा परिभाषित कोई आफिसर अभिप्रेत है ; 1950 का 45 1950 का 46 1957 का 62

(ञ) किसी अंतर-सेना संगठन के "समादेशक आफिसर" से या तो नियमित सेना का जनरल आफिसर या भारतीय नौसेना का फ्लैग आफिसर या वायु सेना का एयर आफिसर, जिसे संयुक्त सेना कमान से भिन्न अंतर-सेना संगठन के समादेशक आफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसा आफिसर, जो कमान करता है, अभिप्रेत है;

(ट) "विनियम" से संबंधित सेना अधिनियमों के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(ठ) "नियम" से, यथास्थिति, इस अधिनियम के और संबंधित सेना अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

1950 का 45
1950 का 46
1957 का 62

(ड) "सेना अधिनियम" से वायु सेना अधिनियम, 1950 या सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 या उक्त अधिनियमों में से कोई दो अधिनियम या उक्त सभी अधिनियम अभिप्रेत हैं ;

(ढ) "सेना कार्मिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिनको कोई भी सेना अधिनियम लागू होता है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु वायु सेना अधिनियम, 1950 या सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 में परिभाषित हैं, के क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियमों में उनके हैं ।

1950 का 45
1950 का 46
1957 का 62

अध्याय 2

कतिपय बलों के लिए विशेष उपबंध

केन्द्रीय सरकार के अधीन कतिपय बलों के लिए विशेष उपबंध ।

4. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी बल या उसके किसी भाग को, जिसे उक्त सरकार के प्राधिकार के अधीन भारत में समुत्थापित और बनाए रखा गया है, विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसको इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध, उपांतरणों सहित या रहित लागू होंगे और तद्नुसार, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट सभी अधिकारियों को उक्त बलों से संबंधित, संबद्ध अधिनियमों के अर्थांतर्गत अधिकारी समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने पर, ऐसे बल या उसके किसी भाग को शासित करने वाले संबंधित अधिनियमों के अधीन सभी अनुशासनिक और प्रशासनिक शक्तियों, जिनके अंतर्गत ऐसे बल या उसके किसी भाग को शासित करने वाले ऐसे अधिनियमों के अधीन जारी अधिदेशों या कमीशनों द्वारा प्रदत्त शक्तियां भी हैं, का प्रयोग करने का प्राधिकार, यथास्थिति, अंतर-सेना संगठन के कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर में निहित होगा ।

(3) जहां इस अधिनियम का कोई उपबंध, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी बल या उसके भाग को लागू होता है, वहां, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उस बल या उसके भाग के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन से आनुषंगिक अधिकारिता, शक्तियां या कर्तव्यों का निर्वहन या अनुपालन किस प्राधिकारी या किस अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

अध्याय 3

अंतर-सेना संगठन और उसके अधिकारियों का गठन

अंतर-सेना संगठन या संयुक्त सेना कमान का गठन ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक अंतर-सेना संगठन का गठन कर सकेगी, जिसमें ऐसी यूनिट या सेना कार्मिक, जो सेना अधिनियमों के किसी भी सेना अधिनियम के अधीन हैं, यथास्थिति, कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर की कमान के अधीन है, से मिलकर बनने वाली संयुक्त सेना कमान है, सम्मिलित हो सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का, उक्त सरकार द्वारा विशेष रूप से इस निमित्त सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा ।

विद्यमान अंतर-सेना संगठन और कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर का बना रहना ।

6. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित और इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ठीक पहले उस रूप में कार्य करने वाले अंतर-सेना संगठनों को, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित हुआ समझा जाएगा ;

(ख) यथास्थिति, अंतर-सेना संगठन का कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर, जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक पहले नियुक्त किया गया है और उस रूप में कार्य कर रहा है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले की गई किसी कार्रवाई या किए गए किसी कृत्य को, यथास्थिति, अंतर-सेना संगठन या अंतर-सेना संगठन के कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर द्वारा, उस समय लागू किसी विधि के अधीन उस रूप में कार्य करते समय अविधिमान्य नहीं करेगी ।

कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर की शक्तियां ।

7. (1) यथास्थिति, किसी अंतर-सेना संगठन का कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर ऐसे अंतर-सेना संगठन का प्रमुख होगा और उस अंतर-सेना संगठन में सेवा कर रहे या उससे संलग्न कार्मिकों पर अनुशासन बनाए रखने और उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन के प्रयोजन के लिए कमान और नियंत्रण करेगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, अंतर-सेना संगठन का कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर, उनमें विहित सभी अनुशासनिक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, जो निम्नलिखित के द्वारा प्रयोक्तव्य होगी, सक्षम होंगे—

(क) सेना को कमान करने वाला जनरल आफिसर ;

(ख) किसी नौसेना कमान का चीफ कमांडिंग फ्लैग आफिसर ;

(ग) किसी एयर कमान का चीफ कमांडिंग एयर आफिसर ;

(घ) सेना अधिनियमों या तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों में विनिर्दिष्ट कोई अन्य आफिसर या प्राधिकारी जिसके अंतर्गत ऐसे सेना अधिनियमों के उपबंधों के अधीन जारी अधिदेशों या कमीशनों द्वारा प्रदत्त शक्तियां भी हैं ; और

(ङ) कोई अन्य अधिकारी या प्राधिकारी, जो धारा 4 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

कमान अधिकारी ।

8. किसी अंतर-सेना संगठन का कमान अधिकारी, किसी यूनिट, पोत या स्थापन पर कमान करने के अतिरिक्त, ऐसे अंतर-सेना संगठनों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा जो उसे, यथास्थिति, उसके कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर द्वारा सौंपे जाएं और वह उस अंतर-सेना संगठन में नियुक्त, प्रतिनियुक्त, तैनात या उनसे

संलग्न कार्मिकों के लिए सभी अनुशासनिक या प्रशासनिक कार्रवाइयां आरंभ करने के लिए सशक्त होगा ।

केन्द्रीय सरकार का अधीक्षण ।

9. अंतर-सेना संगठन का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा, जिसके पास ऐसे प्रत्येक संगठन को, राष्ट्रीय सुरक्षा या साधारण प्रशासन से संबंधित किन्हीं विषयों पर निदेश जारी करने की शक्ति होगी, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है ।

व्यक्तियों को सक्रिय सेवा में घोषित करने की शक्ति ।

10. सेना अधिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि कोई सेना कार्मिक या सेना कार्मिकों का वर्ग, जिनको सेना अधिनियम लागू होते हैं, ऐसे किसी अंतर-सेना संगठन के संदर्भ में, जिसमें वह या वे सेवा कर रहा है या रहे हैं या उससे संलग्न हैं या इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रतिनिर्देश को, इस अधिनियम और सेना अधिनियमों के अर्थांतर्गत उनका सक्रिय सेवा में होना समझा जाएगा ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति ।

11. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव ।

12. इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

13. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

14. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

15. इस अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, ऐसे नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि नियम नहीं बनाने चाहिए तो तत्पश्चात् नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे या निष्प्रभावी

होंगे, तथापि, ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभावी होने से, उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।